न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 166/2017
उनवानी प्रकरण :–

रमेश पुत्र सांवलिया जाति गोस्वामी निवासी ग्राम रहरई तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर ———— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2017 तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं. 108/2017 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रमेश अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री इकराम खांन अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–29.12.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 26.10.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.10.2017 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एंव विधि के प्रावधानो के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच कराये तथा अपीलार्थी को कोई मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया जिसका ज्ञान अपीलार्थी को नही था। अपीलार्थी को कोई भी सूचना व जवाबदेही का मौका नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती है। अपीलान्ट ने ग्राम तरवा में स्थित खसरा नम्बरान 1140 व 1149 की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नही किया है और न कोई सम्बन्ध रखा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते और अपीलान्ट को अपनी साफ–सफाई प्रस्तुत करने का मौका देते, तब न्याय प्रकिया पूर्ण होती। इसलिए अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने सजा देने की कानूनी भूल की है, जो प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई आधिपत्य नही है और नाही भविष्य में आधिपत्य करने का अभिलाषी है। अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 26.10.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट को साक्ष्य एंव नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट ने पैनल्टी राशि जमा करा दी है तथा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी पर मेरा कब्जा था जिसे अब छोड दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है तथा निर्णय दिनांक को अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अपीलान्ट ने सुनवाई एंव साक्ष्य हेतु समय की मांग की हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट निर्णय दिनांक को न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट को जवाब एंव साक्ष्य पेश करने हेतु समय की मांग करनी चाहिए, जो उसके द्वारा नही की गई।
3. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((सुरभि त्यागी))
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)